स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

vidyanjali
(A School Volunteer Programme)

विद्यांजलि

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु समुदाय और स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देश

https://vidyanjali.education.gov.in

धर्मेन्द्र प्रधान

मंत्री
शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता
भारत सरकार

<u>संदेश</u>

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में समुदाय और स्वैच्छिक भागीदारी की अनिवार्य भूमिका है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की हिमायत करने और उन्हें जुटाने के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्कूल शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के महत्व की भी परिकल्पना करती है। एनईपी 2020 की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक स्वयंसेवी प्रबंधन प्रणाली- विद्यांजलि और सामुदायिक और स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है।

विद्यांजलि से भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग, भारत में पंजीकृत संगठन गतिविधियों में योगदान देकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को नि-शुल्क सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। स्वयंसेवक ऐसे स्कूल में योगदान दे सकते हैं जो समर्पित पोर्टल के माध्यम से सहायता का अनुरोध करता है।

मुझे खुशी है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से दिशा-निर्देश विकसित किए हैं जिन में इच्छित कायांतरण परिवर्तन में योगदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। मुझे विश्वास है कि लोग इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और इसे एक बड़ी सफलता बनाएंगे।

(धर्मेन्द्र प्रधान)

नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2021

अन्नपूर्णा देवी

राज्य मंत्री
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

<u>संदेश</u>

"मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो" – स्वामी विवेकानंद

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों का अनुकरण करते हुये विद्यांजलि कार्यक्रम विकसित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर सामुदायिक और स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरे देश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। यह एक स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है जो भारत के नागरिकों/गैर-आवासीय भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत में पंजीकृत कोई संगठन/संस्था/कंपनी/समूह को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो में सुझायी गई विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर सेवाएँ प्रदान करने तथा मुफ्त में परिसंपति/सामग्री/उपकरण प्रदान करने को प्रोत्साहित करता है।

विभाग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को समुदाय तथा विभिन्न स्वयंसेवकों से जोड़ने के लिए विद्यांजलि वेब पोर्टल को नया रूप दिया है। साथ ही साथ, इस विषय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों के परामर्श से तैयार दिशा-निर्देश भी जारी किये गए हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक/सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्व-नियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, गृहिणी और भारतीय प्रवासी के व्यक्ति और कोई अन्य साक्षर व्यक्ति कार्यक्रम की सहायता से बच्चों को ट्यूटररिंग, साक्षरता शिक्षण, अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन, विद्यार्थीयों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन तथा मुफ्त में परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण आदि में सहयोग कर सकेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर सामुदायिक और स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरे देश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। सभी स्वयंसेवी योगदानकर्ताओं एवं सहभागियों को इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर सफल बनाने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं और हार्दिक आभार।

(अन्नपूर्णा देवी)

अनीता करवल, भा.प्र.से

सचिव

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

<u>संदेश</u>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन के अनुरूप, विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वयंसेवकों को शामिल करने और प्रौद्योगिकी और सामुदायिक पहुँच के व्यापक उपयोग द्वारा छात्रों और स्वयंसेवकों के बीच बातचीत को उत्प्रेरित करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय विद्यांजलि, एक स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिससे देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करोड़ों छात्रों को लाभ होगा।

कोई भी स्वयंसेवक विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करके और अपनी पसंद के स्कूलों में सेवाओं/गतिविधियों और/या परिसंपतियाँ/सामग्री/उपकरणों की अभिज्ञात सूची में योगदान देकर इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। योगदान की व्यापक श्रेणियों में कैरियर परामर्श के लिए छात्रों की मेंटरिंग के लिए विषय सहायता, कला और शिल्प के शिक्षण, योग और खेल और व्यावसायिक कौशल और स्कूलों में कार्यक्रमों/शिविरों के प्रायोजन तक सेवाएं सम्मिलित हैं और इसके अतिरिक्त, पाठ्येतर गतिविधियों और खेल के लिए बुनियादी नागरिक अवसंरचना, विद्युत अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना और खेल, शिक्षण अधिगम सामग्री/ उपकरण, रखरखाव और मरम्मत, आदि के लिए सहायता सम्मिलित है।

विद्यांजलि के माध्यम से सामुदायिक और स्वयंसेवी भागीदारी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की अवसंरचना में सुधार करने और इन स्कूलों में छात्रों के अधिगम स्तर को जोड़ने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। मैं स्वयंसेवकों से आग्रह करती हूं कि वे इस कार्यक्रम में पूरे दिलोजान से योगदान कर इसे सफल बनाएं।

मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम अपनी अनूठे संरचना के कारण देश में मूल्य-आधारित समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने में अत्यधिक योगदान देगा।

सचिव

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली

दिनांक 31 अगस्त, 2021

विषय-वस्तु सारणी

विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में	11
परिभाषाएँ	15
योगदान के लिए नियम एवं शर्तें	17
विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ	20
आचरण संहिता	25
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश	28
सेवाओं का समापन	30
अनुबंध I	32
अनुबंध II	38

अस्वीकरण:

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने स्कूल शिक्षा में समुदाय और स्वयंसेवकों के योगदान/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विद्यांजलि का डिजाइन विकसित किया है। शिक्षा मंत्रालय एवं एनआईसी आचरण/सेवा गुणवत्ता/योगदान से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी/स्कूल स्वयंसेवकों की उचित पहचान करने, स्वयंसेवकों के आचरण, गुणवत्ता आकलन और योगदान के सभी अन्य पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगा।

अध्याय - 1

विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में

1.1. समुदाय/स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़ने हेतु एक पोर्टल:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि वेब पोर्टल को नया रूप दिया है। नया शुरू किया गया पोर्टल - विद्यांजलि - समुदाय/स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने के साथ-साथ परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करने के लिए अपनी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से बातचीत करने और सीधे जुड़ने में सहायता करेगा। एक स्वयंसेवक/योगदानकर्ता द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति करने पर, स्कूल के अधिकारी इन दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा/कार्यकलाप और/या परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के विनिर्देशों के लिए स्वयंसेवक/योगदानकर्ता की उपयुक्तता का आकलन करेंगे।

1.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में प्रावधान:

एनईपी 2020 भारत में शिक्षा के सभी स्तरों में एक परिवर्तनकारी बदलाव शुरु करने और लाने का प्रयास करती है, जिसमें इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में समुदाय और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी शामिल है । एनईपी 2020, विभिन्न अध्यायों में, स्वयंसेवी भागीदारी पर जोर देती है; एनईपी के कुछ प्रावधान स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख करते हैं, जिन्हें नीचे दोहराया गया है:

i. यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र/व्यक्ति को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, तो इससे देश के परिदृश्य जल्दी ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने का विचार कर सकते हैं। ***(एनईपी पैरा 2.7);***

ii. कुपोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर तरीके से सीखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) को स्वस्थ भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संबोधित किया जाएगा ***(एनईपी पैरा 2.9);***

iii. बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए पूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें शामिल है – स्कूलों में एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य सहायता हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों के लिए शिक्षण सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों की मेंटरिंग आदि। इस संबंध में सक्रिय और स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय से उपयुक्त सहायता ली जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर

स्वयंसेवकों, सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों/सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा। ***(एनईपी पैरा 3.7);***

iv. पहुंच में आसानी प्रदान करने के लिए, स्वयंसेवकों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शामिल किया जा सकता है और छात्रों और स्वयंसेवकों के बीच बातचीत को प्रौद्योगिकी और सामुदायिक आउटरीच के व्यापक उपयोग द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है ***(एनईपी पैरा 3.6 और 3.7);***

v. भारत एवं विश्वभर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ साथ स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्कजनों की साक्षरता में वृद्धि होती है बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी बढ़ती है. साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है ***(एनईपी पैरा 21.3);***

vi. प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी पांच प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों/शिक्षकों/प्रेरकों की आवश्यकता होगी। इन प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ-साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अपने स्थानीय समुदाय से जुड़ने के मिशन के हिस्से के रुप में उच्चतर शिक्षा संस्थानों सहित समुदाय से योग्य सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा एक लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने और स्वयंसेवक, प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षकों के रूप में, या एक के लिए एक स्वयंसेवक ट्यूटर के रूप में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्र के लिए की गयी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा। राज्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयासों में वृद्धि करने हेतु एनजीओ और अन्य समुदाय संगठनों के साथ भी कार्य करेंगे। ***(एनईपी पैरा 21.7)***

vii. प्रौढ़ शिक्षा में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समुदायों में जा कर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाएँगे और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, उनसे भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जायेगा जो प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक/ट्यूटर के रुप में रूचि रखते हों। इसके उपरांत सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापनों और घोषणाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय

संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जायेगा ***(एनईपी पैरा 21.8);***

viii. केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगी कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित पूरे देश में पुस्तकें सुलभ और सस्ती हों। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र की एजेंसियां/संस्थान सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की गुणवत्ता और आकर्षण में सुधार के लिए कार्यनीति तैयार करेंगे ***(एनईपी पैरा 21.9)***

1.3. समुदाय व अभिभावकों के साथ जुड़ाव:

जब से कोविड-19 महामारी का प्रकोप हुआ है, सामान्य जीवन गंभीर रूप से बाधित हुआ है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020 और 2021 में स्कूलों का बंद होना भी शामिल है। इसने स्कूलों में नामांकित देश के 240 मिलियन से अधिक बच्चों को प्रभावित किया है। जैसाकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई कोविड रिस्पांस एक्शन प्लान में परिकल्पना की गई है, स्कूलों को न केवल शिक्षण और अधिगम के तरीकों को फिर से तैयार करना और फिर से खोजना होगा, बल्कि घर पर और स्कूल में स्कूल शिक्षा के मिश्रण के माध्यम से स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तरीका भी पेश करना होगा। प्राथमिक स्तर पर और विशेष रूप से निम्न प्राथमिक स्तर पर माता-पिता और समुदाय के साथ जुड़ाव की भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह कार्य योजना सामुदायिक स्वयंसेवकों (जैसे एनवाईकेएस और एनएसएस) और अधिगम गतिविधियों में बच्चों को सहायता प्रदान करने में पूर्व छात्रों, माता, माता-पिता, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि सहित समुदाय के अन्य प्रेरित सदस्यों की भागीदारी पर भी जोर देती है।

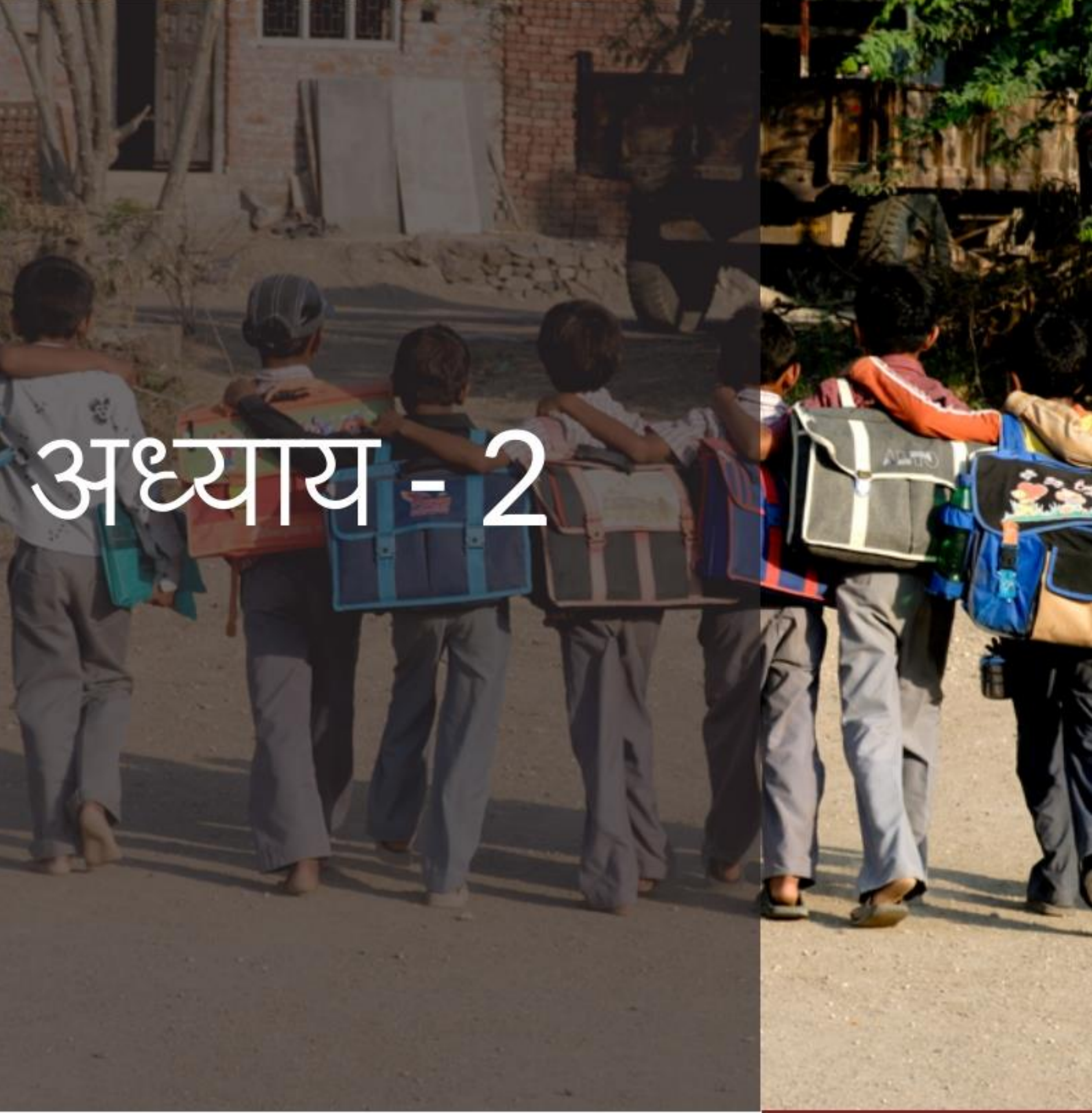

अध्याय - 2

परिभाषाएँ

2.1. परिभाषाएँ:

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. एक **"स्वयंसेवक"** से अभिप्राय: भारत का नागरिक/नॉन रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई)/भारतीय मूल का व्यक्ति या भारत में पंजीकृत एक संगठन/संस्थान/कंपनी/समूह है जो स्कूल गतिविधियों में भाग लेकर सेवाएं प्रदान करने और /या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को नि:शुल्क परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण प्रदान करने का इच्छुक है। सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवारत और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक/सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्व-नियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, गृहिणी और प्रवासी भारतीय कोई व्यक्ति और कोई भी अन्य साक्षर व्यक्ति सहायता के लिए अनुरोध करने वाले स्कूल में स्वयंसेवा कर सकते हैं।

ii. **"विशेषज्ञता का क्षेत्र"** का अर्थ उस विषय या क्षेत्र से है जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्वयंसेवक के पास विशेषज्ञता है

iii. **"योगदान"** का अर्थ किसी स्वयंसेवक द्वारा किसी स्कूल में योगदान का कोई भी गैर-मौद्रिक रूप है। योगदान "सेवा/गतिविधि" और/या "परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण" के रूप में हो सकता है।

iv. **"सेवा/गतिविधि"** का अर्थ किसी स्वयंसेवक द्वारा किसी स्कूल में प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रदर्शन, अभ्यास, प्रायोजन आदि के माध्यम से ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता को साझा करने के रूप में किसी भी योगदान से है।

v. **"परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण"** का अर्थ किसी भी भौतिक वस्तु (वस्तुओं) से है जो स्वयंसेवक विद्यालय द्वारा विद्यांजलि पोर्टल/ऐप पर पोस्ट किए गए अनुरोध के आधार पर स्कूल को प्रदान करने की पेशकश कर सकता है।

vi. **"प्रशासक"** का अर्थ है एक अधिकारी जो विद्यांजलि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करेगा और निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। प्रमुख प्रशासक राष्ट्रीय नोडल अधिकारी (एनएनओ), राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), केवीएस और एनवीएस के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी और स्कूल प्रयोक्ता हैं।

अध्याय - 3

योगदान के लिए नियम और शर्तें

3.1. सेवा/गतिविधि में योगदान:

i. विद्यांजलि स्वयंसेवकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और उनकी रुचि क्षेत्र के आधार पर स्कूलों में सेवा/गतिविधि में योगदान करने की अनुमति प्रदान करता है।

ii. एक स्वयंसेवक उन सेवाओं/गतिविधियों में योगदान कर सकता है जिन्हें 2 कार्यक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्:

- जेनेरिक (सामान्य) स्तर की सेवाएं/गतिविधियां
- प्रायोजन गतिविधियां

iii. जेनेरिक (सामान्य) और प्रायोजन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-1** पर दिया गया है।

3.2. परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण का योगदान:

i. विद्यांजलि स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार के योगदान जैसे परिसंपत्ति / सामग्री / उपकरण साझा करने की भी अनुमति देता है।

ii. योगदान की व्यापक श्रेणियों में बुनियादी सिविल अवसंरचना, बुनियादी विद्युत अवसंरचना, कक्षा सहायता सामग्री और उपकरण, डिजिटल अवसंरचना, पाठ्येतर गतिविधि और खेल संबंधी उपकरण, योग, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायता, शिक्षण अधिगम सामग्री/अधिगम उपकरण, रखरखाव और मरम्मत, कार्यालय स्टेशनरी/फर्नीचर/सहयोग सेवाएं/आवश्यकताएं आदि शामिल हैं।

iii. परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण का योगदान किसी भी मौद्रिक सहायता के रूप में नहीं हो सकता है। यदि स्कूल किसी मौद्रिक सहायता के लिए सम्पर्क करता है, तो उस प्रयोजनार्थ इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया जा सकता।

iv. स्कूल परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण की पूर्वनिर्धारित सूची के भीतर एक स्वयंसेवक से योगदान के लिए अनुरोध पोस्ट कर सकता है, जो अनुलग्नक -II पर है।

3.3. योगदान की प्रकृति:

स्वयंसेवक निम्नलिखित शर्तों पर सेवा/गतिविधि या परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के लिए उस स्कूल में आंशिक या पूर्ण योगदान कर सकते हैं जिसने अनुरोध किया है:

i. ऐसे मामले में जहां किसी स्कूल को एक स्वयंसेवक से प्राप्त योगदान स्कूल द्वारा की गई मांग से कम है (स्कूल की वास्तविक आवश्यकता), अर्थात स्कूल की मांग पूरी नहीं होती है, तो स्कूल का अनुरोध अन्य स्वयंसेवकों के लिए खुला रहेगा।
ii. ऐसे मामले में जहां स्कूल को स्वयंसेवक से स्कूल द्वारा की गई मांग से अधिक योगदान प्राप्त होता है, स्कूल केवल अपने लिए आवश्यक योगदान स्वीकार करेगा और स्वयंसेवक को अन्य स्कूलों में शेष का योगदान करने के लिए सूचित करेगा, जिन्होंने समान अनुरोध किया हो।
iii. ऐसे मामले में जहां प्राप्त योगदान स्कूल द्वारा की गई मांग के बराबर है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा।

अध्याय - 4

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

विद्यांजलि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, संबंधित हितधारकों द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है:

4.1. स्कूल की भूमिका:

i. **स्कूल पंजीकरण:** एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) कोड वाले स्कूल अपना यूडीआईएसई+ कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड देकर विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।

ii. **योगदान हेतु अनुरोध सूची पोस्ट करना :** छात्रों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं, उपलब्ध भौतिक अवसंरचना, स्कूल में मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, एक स्कूल वेब पोर्टल/ऐप पर आवश्यक सेवा/गतिविधि या परिसंपत्ति/ सामग्री/उपकरण की एक सूची पोस्ट करेगा।

iii. **बैठक के लिए स्वयंसेवकों को चयनित करना:** उपर्युक्त बिंदु (ii) के संबंध में स्कूल द्वारा अनुरोध की गई सेवाओं/गतिविधियों या परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरणों की सूची और एक स्वयंसेवी द्वारा प्रकट की गई रुचि के आधार पर, स्कूल स्वयंसेवी प्रोफाइल या विशिष्टताओं/परिसंपत्तियों/सामग्री/उपकरणों के मानकों के माध्यम से उनके योग्यता/अनुभव के मूल्यांकन पश्चात् उनके संभावित योगदान के लिए स्वयंसेवकों का चयन करेगा।

iv. **स्वयंसेवकों के साथ बातचीत:** स्वयंसेवी की विशेषज्ञता के क्षेत्र या योगदान के लिए प्रस्तावित परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के विवरण जानने के लिए स्कूल द्वारा आमने-सामने या वर्चुअल बैठक की व्यवस्था की जाएगी। स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के आधार पर, स्कूल यह तय करेगा कि स्कूल एक निर्दिष्ट समय स्लॉट के लिए उपलब्धता के आधार पर गतिविधि में किसी स्वयंसेवी के योगदान का कैसे लाभ उठाया जा सकता है या किस समय तक स्वयंसेवक परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण का योगदान कर सकता है।

   साक्षात्कार की व्यापक रूपरेखा और स्वयंसेवी प्रोफाइल के आकलन में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

   - अपेक्षित विशेष कौशल, योग्यता और प्रासंगिक अनुभव
   - इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर स्कूल अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवकों के पूर्ववृत्त और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा
   - स्वयंसेवी की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय स्कूल अधिकारियों का होगा

v. भागीदारी के लिए स्वयंसेवकों की पुष्टि करना: स्कूल अभिज्ञात स्वयंसेवी के साथ समझौते किए जाने के संबंध में निर्णय ले सकता है। स्कूल स्वयंसेवी को स्कूल के लिए उनके योगदान को स्वीकार/प्रशंसा करते हुए एक प्रमाण पत्र भी प्रदान कर सकता है। समझौता और प्रमाणपत्र बनाना विद्यांजलि पोर्टल का हिस्सा नहीं है और स्कूल उन्हें अलग से संसाधित करेगा।

vi. स्वयंसेवी को योगदान के लिए कोई धनराशि/वेतन/मानदेय नहीं दिया जाएगा।

vii. जिम्मेदारी लेना: स्वयंसेवकों की सभी पृष्ठभूमि की जांच, क्षमताओं का आकलन आदि करने की जिम्मेदारी स्कूलों/स्कूल प्रशासन प्रणाली की होगी। इस संबंध में किसी भी मुद्दे के मामले में, यह पूरी तरह से स्कूल/स्कूल प्रशासन प्रणाली की जिम्मेदारी होगी।

4.2. स्वयंसेवक की भूमिका:

i. **विद्यांजलि वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करना:** स्वयंसेवी व्यक्तिगत या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या संगठन (एनजीओ के अलावा) के रूप में पंजीकरण कर सकता है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध करा कर प्रोफाइल को पूरा कर सकता है।

ii. **स्कूल खोजना:** स्वयंसेवी राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल के नाम के आधार पर वांछित स्कूल की खोज कर सकेगा। स्वयंसेवी ऑनबोर्डिंग स्थिति और स्कूल द्वारा किए गए योगदान अनुरोध देख सकेगा।

iii. **योगदान की सूची ब्राउज़ (ढूँढना) करना:** स्कूल द्वारा पोस्ट की गई अनुरोध सूची के आधार पर, स्वयंसेवी अपनी विशेषज्ञता/रुचि के क्षेत्र या परिसंपत्ति और सामग्री के आधार पर ऐसे स्कूलों के योगदान अनुरोधों की खोज कर सकता है जिसका वह योगदान करने का इच्छुक है।

iv. **योगदान के लिए आवेदन:** विवरणों को पढ़ने के बाद, स्वयंसेवी अपनी विशेषज्ञता/रुचि के क्षेत्र के आधार पर या किसी विशेष स्कूल के लिए परिसंपत्ति और सामग्री का योगदान करने के लिए किसी गतिविधि के लिए आवेदन करने का निर्णय ले सकता है। स्वयंसेवी स्कूलों के अनुरोध में आंशिक रूप से/पूरी तरह से योगदान करने के लिए अपनी रुचि प्रकट कर सकता है।

v. **स्कूलों के ऑनबोर्डिंग के लिए अनुरोध:** यदि वह स्कूल, जिसके लिए वह योगदान करना चाहता है, पोर्टल पर पंजीकृत स्कूलों की सूची में नहीं है या विशिष्ट योगदान के लिए अनुरोध नहीं किया है तो स्वयंसेवक स्कूल को ऑनबोर्डिंग के लिए अनुरोध भेज सकता है।

vi. **स्कूल द्वारा चुने जाने पर प्रतिभागिता:** स्कूल द्वारा चयनित किए जाने पर स्वयंसेवी उस स्कूल से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्कूल के साथ बातचीत कर सकता है जिसमें उसने योगदान के लिए आवेदन किया

है। चयन प्रक्रिया के बाद, वह स्कूल द्वारा सहमति के आधार पर गतिविधि या परिसंपत्ति और सामग्री का योगदान देगा।

vii. **फीडबैक (प्रतिक्रिया) :** स्वयंसेवक योगदान के अनुभव पर स्कूल को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और स्कूलों से उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

viii. **सूचनाएं:** स्वयंसेवकों को विभिन्न आयोजनों जैसे पंजीकरण, बैठक के निमंत्रण और योगदान के लिए चयन आदि के बारे में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

4.3. नोडल अधिकारियों की भूमिका :

i. राष्ट्रीय नोडल अधिकारी:

- राज्य नोडल अधिकारियों के लिए लॉगईन तैयार करना और प्रबंधित करना ।
- पोर्टल का प्रबंधन करना।
- प्रगति की निगरानी करना व राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट तैयार करना।

ii. राज्य नोडल अधिकारी:

- जिला नोडल अधिकारियों के लिए लॉगईन तैयार करना और प्रबंधित करना।
- सेवा/गतिविधि और परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के समग्र वितरण में स्कूलों/स्वयंसेवकों का प्रबंधन/मार्गदर्शन करना।

iii. जिला नोडल अधिकारी:

- स्कूल पंजीकरण अनुरोधों को देखना।
- ऑनबोर्डिंग आवेदन के बाद स्कूल को एक्टिवेट करना।
- सेवा/गतिविधि और परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के समग्र वितरण में स्कूलों/स्वयंसेवकों का प्रबंधन/मार्गदर्शन करना।
- निगरानी और मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम भागीदारी की मासिक/तिमाही/वार्षिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करना।

iv. केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों की भूमिका:

- स्कूल पंजीकरण अनुरोध देखना।
- ऑनबोर्डिंग आवेदन के बाद स्कूल को एक्टिवेट करना।

- सेवा/गतिविधि और परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के समग्र वितरण में स्कूलों/स्वयंसेवकों का प्रबंधन/मार्गदर्शन करना ।
- डैशबोर्ड देखना और सुनिश्चित करना कि स्कूल और स्वयंसेवी द्वारा प्रयासों का दुहराव ना हो।
- निगरानी और मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम भागीदारी की मासिक/तिमाही/वार्षिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करना ।

v. तकनीकी दल की भूमिका - एनआईसी:

- समग्र तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- विकसित और स्वीकृत आवश्यकताओं के अनुसार विद्यांजलि प्लेटफॉर्म का विस्तार करना।
- नोडल अधिकारियों को विभिन्न रिपोर्टों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना और जहाँ भी आवश्यक हो, तकनीकी सहायता प्रदान करना।

अध्याय - 5

आचरण सहिंता

5.1. आचरण संहिता

आचरण संहिता निम्नवत है:

i. यह दिशानिर्देश केंद्र और राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होते हैं।

ii. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के पास किसी भी समय विद्यांजलि के माध्यम से स्वयंसेवकों द्वारा योगदान के संबंध में नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है और स्वयंसेवकों को इसमें किसी भी बदलाव के लिए बाध्य माना जाता है।

iii. स्वयंसेवकों या स्वयंसेवी के किसी कर्मचारी को प्रत्यायित किसी भी गतिविधि/योगदान से या किसी भी तरह से होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी नुकसान के लिए स्वयंसेवकों के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।

iv. स्कूलों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा इस पहल के तहत स्वयंसेवकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

v. स्वयंसेवी गोपनीयता का कठोर पालन करेगा और किसी भी व्यक्ति, संगठन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधि की गोपनीय जानकारी, उसके कार्यों और उसकी नीतियों को प्रकट नहीं करेगा।

vi. स्वयंसेवक स्कूल के अधिकारियों और आम जनता के साथ अपने संबंधों में व्यावसायिक व्यवहार करेंगे।

vii. स्वयंसेवकों को स्कूल से हटाए जाने/अलग होने से पहले अपने काम की रिपोर्ट जमा करनी होगी।

viii. स्वयंसेवी को गतिविधि का प्रत्यायोजन किए जाने से वह स्कूल या मंत्रालय/विभाग में रोजगार (शिक्षण/गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए) के लिए किसी भी दावा करने का पात्र नहीं हो जाता।

ix. स्वयंसेवक द्वारा दी गई सेवा की अवधि के संबंध में पूर्णकालिक कार्य अनुभव का दावा नहीं किया जा सकता है। स्कूल द्वारा जारी किसी भी आभार/प्रशंसा प्रमाणपत्र को अनुभव प्रमाण पत्र होने का दावा नहीं किया जा सकता।

x. स्वयंसेवी गतिविधि के लिए निर्दिष्ट काम करने के घंटे स्कूल अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवी के परामर्श से तय किए जाएंगे और गतिविधि के सफल समापन के लिए स्वयंसेवी द्वारा इसका पालन करना होगा।

xi. स्वयंसेवक को परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के लिए एक स्व-प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा, कि वस्तु (वस्तुओं) जो कानूनी रूप से स्वयंसेवक के स्वामित्व में हैं, भलीभांति काम करने की स्थिति में है और स्वयंसेवक परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के स्वामित्व का अधिकार स्कूल को हस्तांतरित कर रहा है। इसके अलावा, स्कूल को स्वयंसेवी की ओर से किसी भी गलत काम के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

xii. विद्यांजलि स्कूलों और स्वयंसेवकों को एक साथ लाने के लिए एक मंच मात्र है। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों/राज्यों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं के सत्यापन या स्वयंसेवकों की साख या उनके द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह संबंधित हितधारकों की जिम्मेदारी होगी।

xiii. योगदान से स्कूल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर किसी अस्थायी या स्थायी दायित्व नहीं बनना चाहिए।

अध्याय - 6

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश

6.1. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नवत है:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्वायत्त निकाय अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा दिशानिर्देश, परिसंपत्तियों/सामग्री/उपकरणों में योगदान के लिए मानक विनिर्देशन शामिल करने के लिए एक परिपत्र जारी कर सकते हैं; किसी निर्दिष्ट वित्तीय सीमा से अधिक योगदान करने वाले व्यक्तियों/संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को मान्यता।

ii. चूंकि स्वयंसेवक से छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा की जाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वयंसेवक को या गतिविधि पर संगठन द्वारा तैनात सभी कर्मियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने से पहले स्कूल के साथ एक पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड या भारत सरकार की कोई अन्य आईडी जमा करने की आवश्यकता होगी।

iii. स्वयंसेवी (संगठनों के मामले में कर्मचारियों सहित) द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक गतिविधि में अपने विशेषज्ञता/अनुभव क्षेत्र का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करना होगा। इस से स्कूल को यह तय करने में मदद मिलेगी कि स्वयंसेवक की सेवाएं लेनी हैं या नहीं।

iv. ऐसी सेवाएं स्कूल में शिक्षण-अधिगम का प्रमुख भाग नहीं होंगी। स्वयंसेवक की सेवाएं मुख्य रूप से उन क्षेत्रों/विषयों के लिए ली जा सकती हैं जिनके लिए स्कूल के पास पर्याप्त मानव संसाधन/विशेषज्ञता नहीं है।

v. ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी स्कूल के स्थायी शिक्षकों द्वारा की जानी चाहिए।

vi. सेवाएं/गतिविधियां विशुद्ध रूप से अकादमिक या सह-पाठ्यचर्या प्रकृति की होनी चाहिए। किसी विशेष विचारधारा या प्रथाओं का प्रचार नहीं होना चाहिए।

vii. स्वयंसेवी द्वारा परिसंपत्ति सामग्री/उपकरण के रूप में किए गए सभी योगदान कम से कम बीआईएस चिह्नित होने चाहिए।

viii. दान किया गया बुनियादी ढांचा काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रधानाचार्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल ई-वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड न बने।

ix. परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण के योगदान में वार्षिक/नियमित रखरखाव प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए।

x. योगदान कार्यक्रमों/रखरखाव सेवाओं के प्रायोजन के रूप में भी हो सकता है।

अध्याय - 7

सेवाओं का समापन

7.1. सेवाएं समाप्त करना

स्कूल/राज्य के अधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के तहत स्वयंसेवी के साथ संबंध समाप्त कर सकते हैं:

i. अधिकारी स्वयंसेवक को हटा सकते हैं यदि उनका विचार है कि स्वयंसेवक की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है।

ii. अधिकारी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्वयंसेवी की सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं और निम्नलिखित मामलों में तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकते हैं:

- स्वयंसेवी या उसके किसी प्रतिनिधि का अनुचित व्यवहार।
- स्वयंसेवी पद्धति का अनुपालन न करना।
- स्वयंसेवकों द्वारा रुचि की कमी।
- अनुबंध में स्वयंसेवक द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा न करना।
- किसी भी विविध या अन्य विचारधाराओं को बढ़ावा देना जो युवा मस्तिस्क के लिए अनुकूल नहीं है और/या निजी व्यवसाय/स्टार्ट-अप/किसी भी लाभ गतिविधि आदि को बढ़ावा देना है।
- बच्चों की रक्षा-सुरक्षा(शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, साइबर सुरक्षा सहित) को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना।

iii. यदि अधिकारियों के देखने में आता है कि जिस व्यक्ति/स्वयंसेवक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, वह इस तरह से कार्य करना जारी रखता है जिससे यह आभास होता है कि वह अभी भी एक स्वयंसेवक के रूप में काम करता है, तो अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई लेने का अधिकार सुरक्षित है और अधिकारियों का निर्णय स्वयंसेवी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

iv. अधिकारियों के पास कानून के अनुसार उपलब्ध सभी उपायों का आश्रय लेने का अधिकार सुरक्षित है और इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी विशेष स्वयंसेवी की किसी भी असाइनमेंट तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार शामिल है।

अनुबंध I

स्वयंसेवकों द्वारा योगदान के लिए सेवाओं/गतिविधियों की सूची

1. सामान्य स्तर की सेवाएं/गतिविधियां

क्रम संख्या	सामान्य स्तर की गतिविधि का नाम	निष्पादित की जाने वाली सेवाओं/ गतिविधियों का सांकेतिक ढांचा और विवरण
1.	**विषय सहायता**	• अंग्रेजी, हिंदी, ईवीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, साथ ही साथ सभी भाषाएं स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाएं/मातृभाषा मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य स्तर, नर्सरी से कक्षा 8 तक सिखाई जा रही हैं • विज्ञान, कला और वाणिज्य में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) में प्रस्तावित सभी विषयों के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है • प्रासंगिक विषय के पर्याप्त ज्ञान रखने वाले स्वयंसेवकों की पहचान कर, संबंधित विषयों में स्कूल सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2.	**शिक्षण कला और शिल्प**	• दृश्य और प्रदर्शन कला दोनों शामिल हो सकते हैं। • कला और शिल्प आधारित गतिविधियों (खिलौने, मिट्टी की मॉडलिंग, कठपुतली शो और कठपुतली बनाना, विभिन्न इलाकों में सामग्री की उपलब्धता के अनुसार) के माध्यम से बच्चों का प्रदर्शन और जुड़ाव • स्थानीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हुए स्थानीय राज्य शिल्प, नृत्य, गीत, त्योहार, नाटक आदि पर जोर दिया जा सकता है।
3.	**योग/खेल सिखाना**	• आयु उपयुक्त योग और खेल गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी। • छात्रों को अपने इलाके और पसंद के खेल चुनने की अनुमति दी जा सकती है। इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों को प्रोत्साहित किया जाना है।

4.	**शिक्षण भाषाएँ**	• कहानीकार, अभिनेता, थिएटर विशेषज्ञ बच्चों को उनकी कल्पना, रचनात्मकता और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में कहानियां नाटक बनाने के लिए प्रेरित और संलग्न कर सकते हैं। लिखित और मौखिक दोनों तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। • किसी भी अन्य शैक्षणिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए जो भाषा कौशल के विकास में मदद कर सकती हैं पढ़ना - लिखना आदि।
5.	**व्यावसायिक कौशल सिखाना**	• स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा पहचाने गए कौशल के विकास के लिए अल्पकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है और जिसमें शिक्षार्थी रुचि व्यक्त करते हैं। • ऐसे व्यवसायों में कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है जिनमें स्थानीय रोजगार की गुंजाइश हो। ऐसे सभी पारंपरिक/दुर्लभ/लुप्त होने वाले कौशलों को संरक्षित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए जो केवल विशिष्ट परिवारों के पास उपलब्ध हैं और अगली पीढ़ी को प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं।
6.	**दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता**	• उपचारात्मक उपचार (स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा व्यावसायिक चिकित्सा आदि) और दिव्यांग छात्रों के लिए अन्य सहायता।
7.	**प्रौढ़ शिक्षा**	• वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए नियमित स्कूल समय के बाद स्कूल परिसर का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में निरक्षर वयस्कों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल समूहों में प्रचार गतिविधियों को चलाने की आवश्यकता है। • प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

		• छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और गांव के युवाओं आदि के बीच आईसीटी साक्षरता और अन्य आईसीटी से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं का सार्थक उपयोग किया जा सकता है।
8.	**बच्चों के साथ कहानी की पुस्तकें तैयार करना**	• सहयोगी कहानी पुस्तक और हास्य / ग्राफिक्स उपन्यास निर्माण के लिए छात्रों को शामिल करते हुए कार्यशालाओं का संगठन।
9.	**कैरियर परामर्श के लिए छात्रों को सलाह देना**	• उच्च शिक्षा संस्थानों आदि में प्रवेश के लिए व्यावसायिक कैरियर परामर्श।
10.	**प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए सहायता**	• विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन। • कला, खेल, प्रौद्योगिकी और ओलंपियाड आदि के क्षेत्र में प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए सहायता।
11.	**मेधावी/प्रतिभाशाली बच्चों को सलाह**	• मेधावी/प्रतिभाशाली बच्चों को संवर्धन, मार्गदर्शन और पूरक सामग्री प्रदान करना: एक-एक करके शिक्षण, विभिन्न पाठ्येतर क्षेत्रों में सलाह देना, मेधावी/प्रतिभाशाली बच्चों को करियर मार्गदर्शन और वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में मदद करना।
12.	**बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता**	• स्कूलों में गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना • मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

2. प्रायोजन सेवाएं/गतिविधियां

<table>
<tr><th>क्रम स.</th><th>प्रायोजन गतिविधि का नाम</th><th>प्रदर्शन की जाने वाली गतिविधियों का सांकेतिक ढांचा और विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों को प्रायोजित करना</td><td rowspan="3">• स्कूल स्तर पर व्यावसायिक जरूरतों की पहचान के बाद, समुदाय के सदस्यों के साथ अनुसूची तैयार, प्रदर्शित और प्रसारित की जानी चाहिए ताकि हितधारकों द्वारा आवश्यकता आधारित सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।
• छात्रों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिक पहलुओं का सावधानी से संचालन किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्कूल बोर्ड आदि द्वारा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग योग्यता परीक्षण आयोजित करने, कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। कैरियर मेला, विभिन्न व्यवसायों के पेशेवरों के व्याख्यान स्वयंसेवकों, समुदाय और पूर्व छात्रों के सक्रिय समर्थन से आयोजित किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>शारीरिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को प्रायोजित करना</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विशेषज्ञों द्वारा विशेष कक्षाएं</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा शिविरों का प्रायोजन</td><td>• कुपोषण के मुद्दे पर व्याख्यान देने के लिए; नेत्र एवं दंत जांच के लिए आवधिक शिविर का आयोजन किया जा सकता है।
• अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता और संतुलित आहार के रखरखाव पर किशोर छात्राओं को परामर्श प्रदान करने के लिए महिला डॉक्टरों/स्त्री रोग विशेषज्ञों को आमंत्रित करके विशेष शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रायोजन</td><td>• राज्य/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत छात्रों या समूहों को प्रायोजित किया जा सकता है।
• हालांकि, ऐसे दौरों पर ऐसे छात्रों के साथ एक स्थायी स्कूल शिक्षक भी होना चाहिए।</td></tr>
</table>

		• खेल प्रशिक्षकों को प्रायोजित किया जा सकता है। पोशाक, जूते, छात्रावास की सुविधा, (खेल छात्रावासों में बोर्डिंग और लॉजिंग) सहित खेल उपकरण भी प्रायोजित किए जा सकते हैं।
6.	**स्वास्थ्य और स्वच्छता संसाधनों के लिए प्रायोजन**	• संसाधन एक क्लीनर या किसी सफाई उपकरण के रूप में हो सकते हैं, जिसमें वैक्यूम क्लीनर, बागवानी उपकरण (घास कटर/मशीन), कीटाणुनाशक, तरल सैनिटाइज़र आदि शामिल हैं, जिन्हें स्कूल को दान किया जा सकता है।
7.	**कम से कम एक शैक्षणिक सत्र के लिए हाउसकीपिंग के लिए अतिरिक्त जनशक्ति को प्रायोजित करना**	
8.	**योग्य शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाओं का प्रायोजन**	• योग्य शिक्षकों द्वारा जरूरतमंद छात्रों के लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था या तो ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश/सप्ताहांत के दौरान या स्कूल के घंटों के बाद की जा सकती है। • हालांकि, ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा प्रायोजित विशेषज्ञ कुछ माता-पिता या एक स्थायी स्कूल शिक्षक की उपस्थिति में ही उपचारात्मक कक्षाएं ले सकते हैं।
9.	**सीडब्ल्यूएसएन शिविरों को प्रायोजित करना**	• विशेष स्कूल विशेषज्ञों को प्रायोजित किया जा सकता है जो विशेष जरूरतों या सीखने की अक्षमता के लक्षणों की पहचान करने के लिए छोटे बच्चों से बातचीत और निरीक्षण कर सकते हैं ताकि उनके सीखने में तत्काल ध्यान और सहायता मिल सके।
10.	**लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रायोजन**	• एक स्कूल शिक्षक और प्रशिक्षित कर्मियों की देखरेख में लड़कियों को आयु उपयुक्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। स्थानीय पुलिस स्टेशनों, सैन्य/अर्धसैनिक बलों, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों,

		एनसीसी और एनएसएस कैडेटों, निजी सुरक्षा सेवा प्रदाताओं के विशेषज्ञों को पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ प्रदर्शन और अभ्यास सहित लड़कियों के लिए आत्मरक्षा पर सत्र आयोजित करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

अनुबंध II

एक स्वयंसेवी द्वारा योगदान के लिए परिसंपत्ति/सामग्री/उपकरण की सूची

i. बुनियादी नागरिक अवसंरचना

- अतिरिक्त कक्षा/बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक अनुभाग)
- अतिरिक्त कक्षा (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)
- अतिरिक्त कक्षा (माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक)
- लड़कियों/लड़कों/ सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय
- कर्मचारियों के लिए शौचालय
- पेयजल सुविधा
- कला और शिल्प कक्ष
- स्टाफ रूम
- आईसीटी लैब
- विज्ञान प्रयोगशाला
- वोकेशनल लैब
- चारदीवारी
- गेट
- ओवरहेड पानी की टंकी
- उपकरण के साथ खेल का मैदान
- रैंप/ बाधा मुक्त पहुँच
- पुस्तकालय (कमरा, किताबें और फर्नीचर आदि)
- आधुनिक रसोई और डायनिंग सुविधा।
- छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास
- शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर

- वर्षा जल संचयन संरचनाएं

ii. बुनियादी विद्युत अवसंरचना

- छत के पंखे
- सामान्य क्षेत्रों के लिए फिटिंग के साथ ट्यूब लाइट
- कक्षाओं में फिटिंग के साथ ट्यूब लाइट
- रसोई शौचालय के लिए/एक्जौस्ट फैन
- सौर पैनल ऊर्जा/सक्षम विद्युत उपकरण
- जेनरेटर/इन्वर्टर सेट
- खाना पकाने के उपकरण

iii. कक्षा की जरूरतें

- व्हाइट बोर्ड
- ग्रीन बोर्ड
- मेज
- कुर्सियाँ/बेंच
- स्टेशनरी
- अलमारी
- ब्रैल बड़े अक्षरों वाली पाठ्य पुस्तकें
- विज्ञान और गणित किट
- पाठ्य पुस्तकें
- स्कूल वर्दी

iv. डिजिटल अवसंरचना

- डेस्कटॉप कंप्यूटर
- एलईडी प्रोजेक्टर
- इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड

- स्मार्ट टीवी/एलईडी
- टैबलेट
- लैपटॉप
- यूपीएस
- राउटर
- इंटरनेट कनेक्टिविटी और संबंधित उपकरण
- प्रिंटर
- कंप्यूटर सहायक उपकरण (कीबोर्ड, माउस आदि)

v. सह-पाठयक्रम गतिविधियों और खेलो के लिए उपकरण

- बैडमिंटन किट (रैकेट, शटलकॉक, नेट आदि)
- बास्केटबॉल किट (बास्केटबॉल, पोस्ट, रिंग आदि)
- सहायक उपकरण के साथ कैरम बोर्ड
- सहायक उपकरण के साथ शतरंज बोर्ड
- फुटबॉल किट (फुटबॉल, पंप, गोल पोस्ट, नेट आदि)
- वॉलीबॉल किट (वॉलीबॉल, पोस्ट, नेट आदि)
- क्रिकेट किट (गेंद, बल्ला, विकेट आदि)
- हॉकी किट (बॉल, स्टिक, गोल पोस्ट आदि)
- फ्लाइंग डिस्क/रिंग्स
- प्राथमिक खेल/शैक्षिक उपकरण में विविध
- खिलौने और गेम्स कॉर्नर (गेम सहित/भौतिक और डिजिटल खिलौने)

vi. स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरण

- प्राथमिक चिकित्सा किट
- जल शोधक
- कीटाणुनाशक और सैनिटाइज़र

- मास्क
- इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- हाथ धोने की सुविधा
- श्रवण यंत्र
- पहिएदार कुर्सी
- सेनेटरी पैड वेंडिंग/निपटान मशीनें
- अग्निशामक

vii. टूल किट और विविध उपकरण

- बागवानी उपकरण
- बढ़ईगीरी साधन और उपकरण
- चित्रकारी उपकरण
- टूल किट
- कला संबंधित उपकरण
- कौशल संबंधी उपकरण
- लैब उपकरण

viii. शिक्षण अधिगम सामग्री

- ई-सामग्री और सॉफ्टवेयर
- बाल पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की सदस्यता (भौतिक/डिजिटल)
- खिलौने, पहेलियाँ, कठपुतली बोर्ड गेम और (भौतिक/डिजिटल) इलेक्ट्रोनिक / विडियो गेम्स
- ई-लैब / ओ-लैब

ix. रखरखाव और मरम्मत

- बाउंड्री वॉल पेंटिंग
- बिजली के उपकरण बदलना
- पंखों के रेगुलेटर बदलना

- जनरेटर मरम्मत / रखरखाव
- पेंटिंग (प्रति वर्ग फीट)
- पंप / मोटर मरम्मत
- आईसीटी उपकरण रखरखाव और मरम्मत
- यूपीएस बैटरी बदलना

x. कार्यालय की आवश्यकता

- नोटिस बोर्ड
- कंप्यूटर/टैबलेट/लैपटॉप
- प्रिंटर
- स्कैनर
- फोटोकॉपियर
- अलमारी
- स्टेशनरी
- इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)
- सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली

सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार